न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 114/2015

अपीलांट

1. मघाराम पुत्र रूघाराम के कायम मुकाम

   1/1 दाकू देवी बेवा मघाराम उम्र 70 वर्ष जाति मैणा निवासी ग्राम आकेली तहसील पाली जिला पाली।

   1/2 मिश्री देवी पुत्री मघाराम पत्नी पुरखाराम, उम्र 50 वर्ष, जाति मैणा, निवासी ग्राम दिवान्दी तहसील रोहट जिला पाली।

   1/3 नेनू देवी पुत्री मघाराम पत्नी पीराराम उम्र 48 वर्ष, जाति मैणा, निवासी ग्राम गुडा –एन्दला, तहसील पाली जिला पाली।

   1/4 बदी देवी पुत्री मघाराम पत्नी ताराराम उम्र 38 वर्ष, जाति मैणा, निवासी ग्राम सिरवास, तहसील रानी, जिला पाली।

   1/5 शेषाराम पुत्र मघारामजी, जाति मैणा, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम आकेली, तहसील पाली, जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. नारूराम पुत्र श्री जगाराम जी जाति भाट उम्र 61 वर्ष निवासी आकेली, तहसील पाली जिला पाली।
2. राजूराम पुत्र श्री नारूराम जी जाति भाट उम्र 35 वर्ष, निवासी आकेली, तहसील पाली जिला पाली।
3. किशनलाल पुत्र श्री नारूराम जी, जाति भाट, उम्र 19 वर्ष निवासी आकेली, तहसील पाली जिला पाली।
4. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री जूझांराम परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मांगीलाल प्रजापत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 03 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 09-05.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 21ए/2014 बउनवान मघाराम बनाम नारूराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी

07.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कि वादग्रस्त आराजी मौजा आकेली, पटवार हल्का आकेली, भू–अभिलेख निरीक्षक खैरवा तहसील में के खसरा नंबर 359/221/2 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम अपीलांट की कब्जा शुदा आराजी आई हुई है। उक्त आराजी के पश्विचम की तरफ तथा रेस्पोडेन्टगण की खातेदार भूमि के दक्षिण की तरफ अपीलांट की वादग्रस्त आराजी की धोरापाली व माठ को तोडकर 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने पर अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्टगण को उक्त आराजी से बेदखल बाबत एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। साथ ही स्थाई निशेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलांट द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि में से कुल 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर रेस्पोडेन्टगण द्वारा अतिक्रमण करने के संबध में प्रस्तुत किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र 1 बीघा 09 बिस्वा भूमि से ही रेस्पोडेन्टगण का कब्जा हटाने बाबत निर्णय पारित किया गया। जबकि रेस्पोडेन्टगण का कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी भूमि की पेमाईश करवाने बाबत निवेदन कियां, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए कैम्प कोर्ट में जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी वादग्रस्त आराजी मौजा आकेली, पटवार हल्का आकेली, भू–अभिलेख निरीक्षक खैरवा तहसील में के खसरा नंबर 359/221/2 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम में से 05 बीघा 10 बिस्वा आराजी पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अतिक्रमण करने के संबध में बेदखली का वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में यह स्वीाकर किया है कि वादग्रस्त आराजी की तरमीम नही होने से रकबा का निर्धारणा तरमीम के अभाव में नही किया जाना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र में यह अंकन नही किया गया है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की भूमि पुश्तैनी आराजी है, अथवा आवंटित भूमि है ? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्ययालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183 सपठित धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलांट की आराजी मौजा आकेली, पटवार हल्का आकेली, भू–अभिलेख निरीक्षक खैरवा तहसील में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के खसरा नंबर 359/221/2 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम मे से रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा पर अतिक्रमण किया है। जिसे हटाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री लोक अदालत कैम्प में पारित की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between partiè" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are"compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms deLey, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon"The word "compromise "implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat " इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। इसके अतिरिक्त अपीलांट की वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्टगण का अतिक्रमण है अथवा नही ? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह प्रश्न उठाया है कि वादी ने अपने वाद पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके नाम 15 बीघा भूमि की खातेदारी किसी प्रकार से प्राप्त हुई ? भूमि पुश्तैनी थी अथवा उसे भूमि का आवंटन किया गया था ? उक्त समस्त बिन्दुओ का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक था।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

इस संबध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री की गई है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 21ए/2014 बउनवान मघाराम बनाम नारूराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 09.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली